सं0– 4106 / V-श0वि0–06–64(एच.के.एम.) / 05

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मेलाधिकारी,
अर्द्ध कुंभ–2004,
हरिद्वार।

शहरी विकास अनुभागः देहरादूनः दिनांक– 15 फरवरी, 06

विषयः– वित्तीय वर्ष 2005–06 के लिये अधिष्ठान मद में वित्तीय स्वीकृति के संबध में।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2005–06 की स्वीकृतियां शासनादेश सं0 527A/XXVII(1)/2005 दिनांक 26 अप्रैल, 2005 एवं तत्क्रम में वित्त अनुभाग–1 के पत्र सं0 1333/XXVII(1)/2005 दिनांक 20 अक्टूबर, 2005 के कम में सचिव, कुम्भ क्षेत्र नियंत्रण एवं व्यवस्था समिति एवं उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार के पत्र संख्या 121/व्यवस्था समिति /बजट दिनांक 24 दिसम्बर,2005 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय आय–व्ययक में व्यवस्थित धनराशि के सापेक्ष रू0–29.00 लाख (रूपये उन्तीस लाख मात्र) की धनराशि, संलग्न विवरणानुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान करते हैं कि मितव्ययिता की मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जायेगा।

2– स्वीकृत की जा रही धनराशि आपके द्वारा आहरित कर बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से कुंभ क्षेत्र नियन्त्रण एवं व्यवस्था समिति को उपलब्ध करायी जायेगी।

3– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यवर्तन अन्य मदों में नहीं किया जायेगा। मासिक व्यय तथा व्यय का विवरण बी0एम0–8 एवं बी0एम0–13 पर हर माह की 05 तारीख तक शहरी विकास विभाग/वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित् करें।

4– व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर परचेज रूल्स, मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश, टैण्डर कोटेशन विषयक नियमों एवं तद्विषयक आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार आवश्यक मदों पर ही किया जायेगा तथा व्यय में मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।

6– व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।

7– इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–13, लेखाशीर्षक – 2217– शहरी विकास –03– छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास आयोजनात्मक–191– स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों की सहायता–03– नगरों का समेकित विकास –06– कुंभ क्षेत्र नियन्त्रण एवं व्यवस्था–42– अन्य व्यय के अन्तर्गत संलग्नकों में उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

क्रमशः

8– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0–148/XXVII (2)/2005 दिनांक–27 जनवरी,2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव।

संख्याः ५१०८ (1)/श0वि0–06 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल।
2– प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
4– वित्त अनुभाग–3/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन।
5– निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय प्रांगण, देहरादून।
6– सचिव, कुंभ क्षेत्र नियन्त्रण एवं व्यवस्था समिति, हरिद्वार।

आज्ञा से,

(एल0 फैनई)
अपर सचिव।

शासनादेश सं0– 4106/V-श0वि0–06–64(एच.के.एम.)/ 05, दिनांक– 15 फरवरी, 2006 का संलग्नक

(धनराशि हजार रूपये में)

क्रम सं0	मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2005– 06 के प्रथम अनुपूरक अनुदान के सापेक्ष स्वीकृत कुल धनराशि
1	मजदूरी	100
2	यात्रा भत्ता	20
3	कार्यालय व्यय	300
4	जल कर/जल प्रभार	100
5	विद्युत	900
6	लेखन सामग्री और छपाई	300
7	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	100
8	दूरभाष	100
9	अनुरक्षण जनरेटर डीजल	100
10	विज्ञापन	50
11	अतिथि सत्कार	20
12	अन्य व्यय (मेला नियन्त्रण भवन की सफाई एवं सुरक्षा– 5.00 लाख तथा लिफ्ट का वार्षिक अनुरक्षण 0.42 लाख)	460
13	कम्प्यूटर अनुरक्षण	50
	कुल धनराशि	2900

(रूपये उन्तीस लाख मात्र)